फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

अंजली बनाम संतोष देवी व अन्य

केस संख्या 25 / 2021 (प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
03.08.2021	अधिवक्ता श्री कान्ता प्रसाद शर्मा ने प्रार्थी की ओर से आदेश 20 नियम 18 सी पी सी बाबत माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश जयपुर द्वारा जारी डिक्री दिनांक 07.03.2018 की इजराय कराने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया है। प्रार्थी अधिवक्ता ने माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश जयपुर जिला जयपुर राजस्थान के दीवानी वाद संख्या 27/2015, उनवानी अंजली बनाम संतोष देवी में पारित आदेश दिनांक 7 मार्च 2018 से विवादित विक्रय पत्र दिनांक 26.02.2013 में उल्लेखित कृषि भूमि खसरा नम्बर 415 रकबा 198 बीघा 9 बिस्वा के 1/48 हिस्से में 1/2 हिस्सा अंजली का तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संतोष देवी का होने से वादिया अंजली के हिस्से की सीमा तक विक्रय पत्र को निरस्त किया गया है। साथ ही वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि होने से आदेश 20 नियम 18 सी पी सी के तहत निर्णय की प्रति कलक्टर जयपुर के समक्ष प्रस्तुत होने पर वादिया को उसके हिस्से की सीमा तक सम्पत्ति का कब्जा दिलाये जाने के आदेश दिये है। चूंकि कृषि भूमि का कब्जा दिलाये जाने बाबत क्षेत्राधिकार सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को है। इसलिए माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश जयपुर के निर्णय की पालना हेतु प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आदेश 20 नियम 18 सी पी सी के प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही किये जाने के लिए राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1856 की धारा 54 के तहत मूल पत्रावली उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ को प्रेषित की जाती है। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ नियमानुसार कार्यवाही कर न्यायालय आदेश की पालना करना सुनिश्चित करे। पत्रावली नम्बर से कम हो। [signature] 3/8/21 (अन्तर सिंह नेहरा) जिला कलक्टर जयपुर	